

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक: 744

दिनांक: 22/09/2026

-कार्यालय आदेश-

मैं, अनुभा सिंह, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना No. 14/P.I./2025 Date 09.07.2025 की अनुपालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुए माह अक्टूबर, 2026 में आने वाले राजकीय/राजपत्रित अवकाशों हेतु झुंझुनूं न्यायक्षेत्र में स्थित विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के पुलिस थानों में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी प्रकरणों में रिमाण्ड, जमानत व मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) एवं अन्य आवश्यक कार्य की सुनवाई एवं कार्यवाही के लिए व प्रोटोकॉल ड्यूटी हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करती हूं जो अपने न्यायालय में तय समय में उपस्थित रहकर तथा तय समय के पश्चात अपने आवास पर रहकर उक्त कार्य करेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे:-

क्र. सं	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन न्यायालय	मोबाईल नम्बर
01.	02.10.2026	श्रीमती हीमानी जैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	9653781440
02.	04.10.2026	श्रीमती हीमानी जैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	9653781440
03.	10.10.2026	श्री वेदांत शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	9079080108
04.	11.10.2026	श्री वेदांत शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	9079080108
05.	18.10.2026	श्री राकेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	8432694218
06.	19.10.2026	श्रीमती प्रमा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	9461230844
07.	20.10.2026	श्रीमती प्रमा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	9461230844
08.	21.10.2026	श्री प्रतीक यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	9414926307
09.	22.10.2026	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	8824370076
10.	23.10.2026	श्री राहुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	8824370076
11.	24.10.2026	श्री राहुल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना	9782296619
12.	25.10.2026	श्री राहुल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना	9782296619

- सुविधा की दृष्टि से उक्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अधिकृत कार्य हेतु न्यायालय समय पर समय 01 बजे से 03 बजे तक न्यायालय परिसर में स्वयं के न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजकीय/राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात से राजकीय/राजपत्रित अवकाश के आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी। आगामी दिवस को अवकाश होने की स्थिति में भी गत अवकाश पर

जिस अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी है उसकी ड्यूटी आगामी दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक ही मानी जाएगी।

3. इस अवधि में राज्य एवं राज्य के बाहर से झुंझुनूं पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के प्रवेश पर उनके आगमन, प्रवास एवं रहवास के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पी.आई./2008 दिनांक 29.07.2008 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी करेंगे।
4. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
5. रिमाण्ड न्यायालय की बैठक हेतु निर्धारित समय के दौरान अभियुक्त को न्यायालय में ही आवश्यक रूप से पेश किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के पश्चात अभियुक्त को अधिकारी के आवास पर पेश किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से निवास पर पेश करते समय अभियुक्त को सीधे निवास में प्रवेश नहीं करवाकर बाहर रखा जाएगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।
6. न्यायिक अधिकारी अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमाण्ड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. रिमाण्ड ड्यूटी न्यायालय के दिन आरक्षी केंद्र से पेश होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट सीधे ही संबंधित न्यायालय को जरिए ई-मेल प्रेषित की जाए और केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश किये जाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर किसी भी कार्मिक/पुलिसकर्मी को नहीं भेजा जावे। न्यायालय खुलने की दिनांक को प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल प्रति संबंधित न्यायालय में पेश की जा सकेगी।

22/9/26
(अनुभा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक: 745-757

दिनांक: 22/9/26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी/पिलानी
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी/पिलानी/चिड़ावा/उदयपुरवाटी/बुहाना
4. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत
5. प्रभारी अधिकारी, वायरलेस शाखा, झुंझुनूं
6. अध्यक्ष, बार संघ, झुंझुनूं
7. जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत
8. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

22/9/26
(अनुभा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)